BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 सितम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त असलम पुत्र राजा निवासी ग्राम मुण्डाखेडा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2014 में थाना खुर्जानगर क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.9.2014 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 703/2014 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.11.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.9.2024 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम(मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा अभियुक्त असलम को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री कुश कुमार व श्री विजय शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।